रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032022-234360
CG-DL-E-22032022-234360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2022/चैत्र 1, 1944
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2022/CHAITRA 1, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

प्रस्तावना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

चूंकि ग्रिड की विश्वसनीयता, सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत की निकासी या अंतःक्षेपण की अनुसूची से विचलन के व्यवस्थापन और निपटान के लिए विनियामक तंत्र प्रदान करना आवश्यक है, इसे एतद्द्वारा निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया हैः

अधिसूचना

सं.एल-1/260/2021/केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (ग) और खंड (ज) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा टिप्पणियां:

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

2. उद्देश्य

ये विनियम वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं कि उपयोगकर्ता ग्रिड से विचलित न हों और ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत के आहरण और अंतःक्षेपण की अपनी अनुसूची का अनुसरण करें।

3. परिभाषाएं और निर्वचन

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, अपेक्षित न हो,

(क) **'अधिनियम'** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) समय ब्लॉक में **'वास्तविक निकासी'** से क्रेता द्वारा आहरित, इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है;

(ग) समय ब्लॉक में **'वास्तविक अंतःक्षेपण'** से विक्रेता द्वारा अंतःक्षेपित, इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है;

(घ) **'आनुषंगिक सेवा'** से आनुषंगिक सेवा विनियमों में यथा परिभाषित आनुषंगिक सेवा अभिप्रेत है;

(ङ) **'आनुषंगिक सेवा विनियम'** से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आनुषंगिक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 अभिप्रेत है और इसमें इसका पुनराधिनियमन भी शामिल होगा;

(च) **'क्षेत्र क्लियरिंग कीमत' या 'एसीपी'** से बाजार विभाजन के बाद विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) में सभी वैध खरीद और बिक्री बोलियों को ध्यान में रखने के बाद पावर एक्सचेंज में समय–ब्लॉक के लिए संव्यवहारित विद्युत संविदा की कीमत अभिप्रेत है;

(छ) पवन या सौर या पवन–सौर स्रोतों के हाइब्रिड पर आधारित उत्पादन स्टेशन, जो कि प्रादेशिक कंपनियां हैं, के लिए **'उपलब्ध क्षमता'**, उन पवन टरबाइनों या सौर इंवर्टरों की संचयी क्षमता रेटिंग है जो कि दिए गए समय ब्लॉक में विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हैं;

(ज) **'क्रेता'** से ग्रिड कोड के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की खरीद करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) **'आयोग'** से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ञ) **'संविदा दर'** से विद्युत के क्रय या विक्रय के लिए, यथास्थिति, समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86(1)(ख) के अधीन अनुमोदित या धारा 63 के अधीन अंगीकृत या धारा 62 के अधीन यथावधारित टैरिफ या पावर एक्सचेंज में खोजी गई कीमत अभिप्रेत है;

(ट) विद्युत के विक्रेता के लिए समय ब्लॉक में **'विचलन'** से कुल वास्तविक अंतःक्षेपण घटा इसका कुल अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत है और विद्युत के क्रेता के लिए इसकी कुल वास्तविक निकासी घटा कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है, और इसे इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार संगणित किया जाएगा;

(ठ) **'विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा'** से इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा रखरखाव और संचालित किया जाने वाला लेखा अभिप्रेत है;

(ड) **'सामान्य विक्रेता'** से पवन या सौर या पवन–सौर स्रोतों के हाइब्रिड के अलावा अन्य पर आधारित उत्पादन स्टेशन के मामले में विक्रेता अभिप्रेत है;

(ढ) **'ग्रिड संहिता'** से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता अभिप्रेत है;

(ण) **'इंटरफेस मीटर'** से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन एवं प्रचालन) विनियम 2006 और उसके किसी भी पुनराधिनियमन के अधीन यथापरिभाषित इंटरफेस मीटर अभिप्रेत है;

(त) **'भार प्रेषण केन्द्र'** से, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;

(थ) **'विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर'** से इन विनियमों के विनियम 7 में यथा संदर्भित विचलन (पैसे/किलोवाट घंटा) के लिए प्रभार अभिप्रेत है;

(द) **'निर्बाध पहुंच विनियम'** से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 अभिप्रेत है और इसमें इसका पुनराधिनियमन भी शामिल होगा;

(ध) **'प्रादेशिक इकाई'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है;

(न) **'नवीकरणीय समृद्ध राज्य'** या **'आरई–समृद्ध राज्य'** से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके नियंत्रण क्षेत्र के अधीन सौर और पवन उत्पादन स्टेशनों की संयुक्त संस्थापित क्षमता, 1000 मेगावाट या अधिक है;

(प) **'संदर्भित प्रभार दर'** से (i) सामान्य विक्रेता के संबंध में जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 के अधीन अवधारित, समुचित आयोग द्वारा यथावधारित रु./किलोवाट घंटा ऊर्जा प्रभार, या (ii) यथास्थिति, सामान्य विक्रेता के संबंध में जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 के अधीन अवधारित नहीं है, सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड बाजार खंडों की दैनिक भारित औसत एसीपी अभिप्रेत है;

(फ) **'आरएलडीसी फीस और प्रभार'** से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट फीस और प्रभार अभिप्रेत हैं और इसमें इसका पुनराधिनियमन भी शामिल होगा;

(ब) **'अपवाह नदी उत्पादन स्टेशन' या 'आरओआर उत्पादन स्टेशन'** से वह हाइड्रो उत्पादन स्टेशन अभिप्रेत है जिसका अपस्ट्रीम जल संचय नहीं है;

(भ) किसी समय ब्लॉक या किसी अवधि के लिए **'अनुसूचित उत्पादन' या 'अनुसूचित अंतःक्षेपण'** से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदान की गई आनुषंगिक सेवा के लिए अनुसूची सहित मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्स–बस में उत्पादन या अंतःक्षेपण की अनुसूची अभिप्रेत है;

(म) किसी समय ब्लॉक या किसी अवधि के **'अनुसूचित निकासी'** से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदान की गई आनुषंगिक सेवा के लिए अनुसूची सहित मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्स–बस में निकासी की अनुसूची अभिप्रेत है;

(य) **'विक्रेता'** से ग्रिड संहिता के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करने वाले उत्पादन स्टेशन सहित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(कक) **'समय ब्लॉक'** से ग्रिड संहिता में यथापरिभाषित समय ब्लॉक अभिप्रेत है;

(खख) **'डब्ल्यूएस विक्रेता'** से पवन या सौर या पवन–सौर स्रोतों के हाइब्रिड पर आधारित उत्पादन स्टेशन के मामले में विक्रेता अभिप्रेत है।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय, जब तक कि संदर्भ के अनुसार या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो क्रमशः अधिनियम या किसी अन्य विनियम में है।

4. विस्तार

ये विनियम विद्युत के अंतर–राज्यिक क्रय और विक्रय से संबद्ध ग्रिड से जुड़ी सभी प्रादेशिक इकाइयों और अन्य इकाइयों पर लागू होंगे।

5. अनुसूची का अनुपालन और विचलन

(1) ग्रिड के सुरक्षित और स्थिर प्रचालन के लिए, ग्रिड से जुड़ी प्रत्येक प्रादेशिक इकाई, ग्रिड संहिता के अनुसार अपनी अनुसूची का अनुपालन करेगी और अपनी अनुसूची से विचलित नहीं होगी।

(2) किसी भी विचलन का प्रबंधन, आनुषंगिक सेवा विनियमों के अनुसार भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा, और ऐसे विचलन के संबंध में संगणना, प्रभार और संबद्ध मामलों का निपटान, इन विनियमों के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

6. विचलन की संगणना

(1) सामान्य विक्रेताओं के लिए समय ब्लॉक में विचलन की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः

विचलन–सामान्य विक्रेता (मेगावाट घंटा में) = [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) – (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)]

विचलन–सामान्य विक्रेता (% में) = 100 x [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) – (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)] / [(मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)]

(2) डब्ल्यूएस विक्रेताओं के लिए समय ब्लॉक में विचलन की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः

विचलन–डब्ल्यूएस विक्रेता (मेगावाट घंटा में) = [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) – (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)]

विचलन–डब्ल्यूएस विक्रेता (% में) = 100 x [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) – (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)] / [(उपलब्ध क्षमता)]

(3) क्रेताओं के लिए समय ब्लॉक में विचलन की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः

विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में) = [(मेगावाट घंटा में वास्तविक निकासी) – (मेगावाट घंटा में अनुसूचित निकासी)]

विचलन–क्रेता (% में) = 100 x [(मेगावाट घंटा में वास्तविक निकासी) – (मेगावाट घंटा में अनुसूचित निकासी)] / [(मेगावाट घंटा में अनुसूचित निकासी)]

7. विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर

(1) किसी समय ब्लॉक के लिए विचलन हेतु प्रभारों की सामान्य दर, दी गई आनुषंगिक सेवाओं की मात्रा और उस समय ब्लॉक के लिए सभी प्रदेशों हेतु आनुषंगिक सेवा प्रदाताओं को देय निवल प्रभारों के आधार पर संगणित भारित औसत आनुषंगिक सेवा प्रभार (पैसे/किलोवाट घंटा में) के बराबर होगी।

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख या आयोग द्वारा यथाधिसूचित किसी आगे की अवधि से एक वर्ष की अवधि के लिए, समय ब्लॉक के लिए विचलन हेतु प्रभारों की सामान्य दर, उस समय ब्लॉक के लिए [सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी; या सभी पावर एक्सचेंजों के वास्तविक समय बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी; सभी प्रदेशों की भारित औसत आनुषंगिक सेवा प्रभार] के उच्चतम के बराबर होगीः

परंतु यह और कि किसी दिवस को किसी समय ब्लॉक के लिए एसीपी की अनुपलब्धता के मामले में, अंतिम उपलब्ध दिवस के तदनुरूपी समय ब्लॉक के लिए एसीपी पर विचार किया जाएगाः

(2) विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर को निकटतम दो दशमलव स्थान तक पूर्णांक किया जाएगा।

8. विचलन के लिए प्रभार

(1) विक्रेता द्वारा समय ब्लॉक में विचलन के लिए ऐसे विक्रेता द्वारा देय प्रभार निम्नानुसार होंगेः

इकाई	**विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा को विचलन के लिए देय प्रभार**	
विक्रेता	**अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन**	**कम अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन**
आरओआर उत्पादन स्टेशन या नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित उत्पादन स्टेशन के अलावा सामान्य विक्रेता के लिए	(i) शून्य से [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक: परंतु यह कि ऐसे विक्रेता को अधिक अंतःक्षेपण के लिए [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक विचलन के लिए संदर्भित प्रभार दर पर वापस भुगतान किया जाएगा; और (ii) [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 10% पर	(i) [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक संदर्भित प्रभार दर पर; (ii) [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] से अधिक और [10% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर का 120% पर; और (iii) [10% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 150% पर
आरओआर उत्पादन स्टेशन होते हुए सामान्य विक्रेता के लिए	शून्यः परंतु यह कि ऐसे विक्रेता को, [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक अधिक अंतःक्षेपण के लिए संदर्भित प्रभार दर वापस भुगतान किया जाएगा।	(i) [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक संदर्भित प्रभार दर पर; (ii) [2% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] से अधिक और [10% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक विचलन के लिए प्रभारों की

		सामान्य दर पर; और (iii) [10% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 110% पर।
नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित उत्पादन स्टेशन होते हुए सामान्य विक्रेता	शून्यः परंतु यह कि ऐसे विक्रेता को [20% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक अधिक अंतःक्षेपण के लिए संविदा दर पर या संविदा दर की अनुपस्थिति में, संबंधित समय ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी पर वापस भुगतान किया जाएगा।	(i) शून्य से [20% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक: परंतु यह कि ऐसे विक्रेता [20% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] तक कम अंतःक्षेपण के कारण किसी समय ब्लॉक में अपनी अनुसूची के विपरीत ऊर्जा में कमी के लिए संविदा दर के 50% पर या संविदा दर की अनुपस्थिति में, संबंधित समय ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी पर वापस भुगतान करेंगे। और (ii) [20% विचलन–सामान्य विक्रेता (% में)] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर पर।
डब्ल्यूएस विक्रेता के लिए	शून्यः परंतु यह कि ऐसे विक्रेता को अधिक अंतःक्षेपण के लिए निम्नानुसार वापस भुगतान किया जाएगाः (i) [5% विचलन–डब्ल्यूएस विक्रेता (% में)] तक, संविदा दर पर, या संविदा दर की अनुपस्थिति में संबंधित समय ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड बाजार खंडों के भारित औसत एसीपी पर; और (ii) [5% विचलन–डब्ल्यूएस विक्रेता (% में)] से अधिक और [10% विचलन–डब्ल्यूएस विक्रेता (% में)] तक विचलन के लिए संविदा दर के 90% पर या संविदा दर की अनुपस्थिति में संबंधित समय ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड बाजार खंडों के भारित औसत एसीपी के 90% पर।	(i) शून्य से [10% विचलन–डब्ल्यूएस विक्रेता (% में)] तक; और (ii) [10% विचलन–डब्ल्यूएस विक्रेता (% में)] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 10% पर: परंतु यह कि ऐसे विक्रेता, कम अंतःक्षेपण के कारण किसी समय ब्लॉक में अपनी अनुसूची के विपरीत ऊर्जा में कुल कमी के लिए संविदा दर पर, या संविदा दर की अनुपस्थिति में संबंधित समय ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड बाजार खंडों के भारित औसत एसीपी पर वापस भुगतान करेंगे।

(2) क्रेता द्वारा समय ब्लॉक में विचलन के लिए ऐसे क्रेता द्वारा देय प्रभार निम्नानुसार होंगेः

इकाई	**विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा को विचलन के लिए देय प्रभार**	
क्रेता	**कम निकासी के माध्यम से विचलन**	**अधिक निकासी के माध्यम से विचलन**
क्रेता (400 मेगावाट से कम अनुसूची के	शून्यः	(i) [10% विचलन–क्रेता (% में) या

साथ क्रेता और आरई समृद्ध राज्य के अलावा)	परंतु यह कि ऐसे क्रेता को कम निकासी के लिए निम्नानुसार वापस भुगतान किया जाएगाः (i) [10% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 100 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 90% पर; और (ii) [10% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 100 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] से अधिक और [15% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 200 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 50% पर।	समय ब्लॉक में 100 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर पर; (ii) [10% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 100 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] से अधिक और [15% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 200 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 120% पर; और (iii) [15% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 200 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 150% पर।
क्रेता (400 मेगावाट तक अनुसूची के साथ)	शून्यः परंतु यह कि ऐसे क्रेता को [20% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 40 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 90% पर कम निकासी के लिए वापस भुगतान किया जाएगा।	(i) [20% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 40 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर पर; और (ii) [20% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 40 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 120% पर
क्रेता (एक आरई समृद्ध राज्य के होते हुए)	शून्यः परंतु यह कि ऐसे क्रेता को कम निकासी के लिए निम्नानुसार वापस भुगतान किया जाएगाः (i) [10% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 200 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 90% पर; और (ii) [10% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 200 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] से अधिक और [15% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 300 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 50% पर।	(i) [10% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 200 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर पर; (ii) [10% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 200 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] से अधिक और [15% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 300 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] तक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 120% पर; और (iii) [15% विचलन–क्रेता (% में) या समय ब्लॉक में 300 मेगावाट विचलन–क्रेता (मेगावाट घंटा में), जो भी कम हो] से अधिक विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर के 150% पर।

(3) (क) अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु प्रभार शून्य होगा।

(ख) उत्पादन इकाई की सीओडी से पूर्व स्टार्ट–अप की निकासी के लिए या उत्पादन स्टेशन के शट–डाउन के दौरान आनुषंगिकों को चलाने के लिए विद्युत की निकासी के लिए विचलन हेतु प्रभार, विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर पर देय होंगे।

(4) अंतर–प्रादेशिक विचलन के लिए और अधिक–निकासी या कम–अंतःक्षेपण के कारण क्रॉस–बॉर्डर संव्यवहारों के संबंध में विचलन के लिए प्रभार, विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर पर देय होंगे।

9. विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा के लिए प्रभारों का लेखांकन

(1) प्रत्येक गरुवार तक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, संबंधित प्रादेशिक विद्युत समितियों के सचिवालय को रविवार की मध्यरात्रि को समाप्त होने वाले पिछले सप्ताह के लिए, इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार परिकलित विचलन के लिए डाटा प्रदान करेंगे।

(2) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से विचलन के लिए डाटा प्राप्त होने के बाद प्रादेशिक विद्युत समिति के सचिवालय, आगामी मंगलवार तक सभी प्रादेशिक इकाइयां को पिछले सप्ताह के लिए तैयार किया गया विचलन हेतु प्रभारों की विवरणी तैयार करेंगे और जारी करेंगेः

परंतु यह कि अंतः राज्यिक इकाइयों के लिए संव्यवहार–वार डीएसएम लेखांकन, प्रादेशिक स्तर पर नहीं किया जाएगा।

(3) प्रादेशिक विद्युत समितियों के सचिवालय द्वारा विचलन के लिए प्रभारों के मूल घटक और ब्याज घटक के लिए पृथक लेखांकन बहियां तैयार की जाएंगीं।

(4) संबंधित प्रदेश के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा का रखरखाव और संचालन किया जाएगाः

परंतु यह कि आयोग किसी अन्य इकाई को विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा का संचालन और रखरखाव करने का आदेश दे सकता है।

(5) विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा में निम्नलिखित के लिए जमा प्राप्त किया जाएगाः

(क) इन विनियमों के विनियम 8 में संदर्भित विचलन के लिए प्रभारों के लिए भुगतान और इन विनियमों के विनियम 10 में संदर्भित विलंब भुगतान अधिभार;

(ख) निम्नलिखित द्वारा भुगतानः

(i) आनुषंगिक सेवा विनियमों के अधीन प्रेषित एसआरएएस–डाउन के लिए एसआरएएस प्रदाता;

(ii) आनुषंगिक सेवा विनियमों के अधीन प्रेषित टीआरएएस–डाउन के लिए टीआरएएस प्रदाता; और

(iii) इस प्रकार के अन्य प्रभार जैसा आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(6) विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा को निम्नलिखित के लिए प्रभारित किया जाएगाः

(क) इन विनियमों के विनियम 8 के खंड (1) में यथासंदर्भित अधिक अंतःक्षेपण के लिए विक्रेता को भुगतान;

(ख) इन विनियमों के विनियम 8 के खंड (2) में यथासंदर्भित कम निकासी के लिए क्रेता को भुगतान;

(ग) आनुषंगिक सेवा विनियमों में यथासंदर्भित संबंधित एसएआरएस प्रदाता को देय, एसआरएएस के लिए प्रोत्साहन के साथ–साथ प्रादेशिक आधार पर प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए, यथास्थिति, परिवर्ती प्रभार या ऊर्जा प्रभार या क्षतिपूर्ति प्रभार सहित एसआरएएस–अप की संपूर्ण लागत;

(घ) आनुषंगिक सेवा विनियमों में यथासंदर्भित क्लियर और प्रेषित की गई मात्रा के लिए प्रभार और क्यिलर की गई परंतु प्रेषित नहीं मात्रा के लिए प्रतिबद्धता प्रभार सहित टीआरएएस–अप के प्रति संपूर्ण लागत; और

(ङ) इस प्रकार के अन्य प्रभार जैसा आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(7) प्रदेश के विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा में घाटे की दशा में, अन्य प्रदेशों के विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा में उपलब्ध अतिरिक्त राशि को इस विनियम के खंड (6) के अधीन भुगतान के निपटान के लिए उपयोग किया जाएगाः

परंतु यह कि यदि सभी प्रदेशों के विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा में अतिरिक्त राशि ऐसे घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो शेष राशि को आरएलडीसी फीस और प्रभारों के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

10. विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान की अनुसूची

(1) विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और संबंधित प्रादेशिक इकाई, प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी को जारी करने के 7 (सात) दिनों के अंदर देय राशि का भुगतान करेगा जिसके न होने पर विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

(2) उस प्रादेशिक इकाई से, जो पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के अंदर विचलन के लिए प्रभारों का भुगतान करने में असफल होता है, उससे चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से दो सप्ताह के अंदर संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के पक्ष में पूर्व वित्तीय वर्ष में विचलन के लिए उनके औसत देय साप्ताहिक देयता के 110% के समतुल्य साख पत्र खोलने की अपेक्षा की जाएगा।

(3) विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी जारी होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के अंदर विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा में भुगतान करने में असफल होने की दशा में, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र चूक की सीमा तक संबंधित प्रादेशिक इकाई के साख पत्र को भुनाने का पात्र होगा और संबंधित प्रादेशिक इकाई 3 दिनों के अंदर साख पत्र की राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।

11. शिथिल करने की शक्ति

आयोग, लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए और प्रभावित होने वाले संभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्व–प्रेरणा से या प्रभावित पक्षकार द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

12. कठिनाई दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे पद्धति निर्देश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक समझे जाएं।

13. निरसन और व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 इन विनियमों के आरंभ की तारीख से निरसित होंगे।

(2) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रक्रिया, कार्यवृत्त, रिपोर्ट, पुष्टिकरण या निरसित विनियमों के अधीन निष्पादित किसी लिखत की घोषणा सहित की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए गए से तात्पर्य होना, इन विनियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा।

(3) इन विनियमों के आरंभ होने पर, निरसित विनियमों के अधीन गठित प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि का इन विनियमों के अधीन गठित विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा के रूप में पुनःनामकरण किया जाएगा, और

(क) प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि में जमा की गई धन की पूर्ण राशि को विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा में जमा किया गया समझा जाएगा;

(ख) प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि को देय और इससे देय सभी राशि को विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा को देय और इससे देय समझा जाएगा;

(ग) प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि के किसी संदर्भ का, विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

सुशांत के. चटर्जी, प्रमुख (विनियामक मामले)

[विज्ञापन-III/4/असा./701/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

PREAMBLE

New Delhi, the 14th March, 2022

Whereas it is necessary to provide for a regulatory mechanism for treatment and settlement of deviation from schedule of drawal or injection of electricity in the interest of reliability, security and stability of the grid, it is hereby specified as follows:

NOTIFICATION

No. L-1/260/2021/CERC - In exercise of the powers conferred under Section 178 read with clauses (c) and (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022.

(2) These regulations shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

2. Objective

These regulations seek to ensure, through a commercial mechanism that users of the grid do not deviate from and adhere to their schedule of drawal and injection of electricity in the interest of security and stability of the grid.

3. Definitions and Interpretation

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) **'Act'** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) '**actual drawal'** in a time block means the electricity drawn by a buyer, measured by the interface meters;

(c) **'actual injection'** in a time block means the electricity injected by the seller, measured by the interface meters;

(d) **'Ancillary Services'** means the Ancillary Services as defined in the Ancillary Services Regulations;

(e) **'Ancillary Services Regulations'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Operations) Regulations, 2015 as amended from time to time and shall include any re-enactment thereof;

(f) **'Area Clearing Price' or 'ACP'** means the price of electricity contract for a time-block transacted on a Power Exchange after considering all valid buy and sale bids in particular area(s) after market-splitting;

(g) **'Available Capacity'** for generating station based on wind or solar or hybrid of wind-solar resources which are regional entities, is the cumulative capacity rating of wind turbines or solar inverters that are capable of generating power in a given time block;

(h) '**Buyer**' means a person purchasing electricity through a transaction scheduled in accordance with the Grid Code;

(i) **'Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

(j) **'Contract rate'** means the tariff for sale or purchase of power, as determined under Section 62 or adopted under Section 63 or approved under Section 86(1)(b) of the Act by the Appropriate Commission or the price as discovered in the Power Exchange, as the case may be;

(k) **'Deviation'** in a time block for a seller of electricity means its total actual injection minus its total scheduled generation; and for a buyer of electricity means its total actual drawal minus its total scheduled drawal, and shall be computed as per Regulation 6 of these regulations;

(l) **'Deviation and Ancillary Service Pool Account'** means the Account to be maintained and operated by the concerned Regional Load Despatch Centre in each region as per Regulation 9 of these regulations;

(m) '**General seller**' means a seller in case of a generating station based on other than wind or solar or hybrid of wind-solar resources;

(n) **'Grid Code'** means the Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;

(o) **'Interface meters'** means interface meters as defined under the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time and any re-enactment thereof;

(p) **'Load Despatch Centre'** means National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be;

(q) **'Normal Rate of Charges for Deviation'** means the charges for deviation (in paise/kWh) as referred to in Regulation 7 of these regulations;

(r) **'Open Access Regulations'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008 as amended from time to time and shall include any re-enactment thereof;

(s) **'Regional Entity'** means a person whose metering and energy accounting are done at the regional level by Regional Load Despatch Centre;

(t) **'Renewable Rich State'** or '**RE-rich State**' means a State whose combined installed capacity of solar and wind generating stations under the control area of the State is 1000 MW or more;

(u) **'Reference Charge Rate'** means (i) in respect of a general seller whose tariff is determined under Section 62 or Section 63 of the Act, Rs/ kWh energy charge as determined by the Appropriate Commission, or (ii) in respect of a general seller whose tariff is not determined under Section 62 or Section 63 of the Act, the daily weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges, as the case may be;

(v) **'RLDC Fees and Charges'** means the fees and charges as specified under the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2019 as amended from time to time and shall include any re-enactment thereof;

(w) '**Run-of-River Generating Station**' or '**RoR generating station**' means a hydro generating station which does not have upstream pondage;

(x) **'Scheduled generation' or 'Scheduled injection'** for a time block or any period means the schedule of generation or injection in MW or MWh ex-bus including the schedule for Ancillary Services given by the concerned Load Despatch Centre;

(y) **'Scheduled drawal'** for a time block or any period means the schedule of drawal in MW or MWh ex-bus including the schedule for Ancillary Services given by the concerned Load Despatch Centre;

(z) **''Seller'** means a person, including a generating station, supplying electricity through a transaction scheduled in accordance with the Grid Code;

(aa) **'Time Block'** means the time block as defined in the Grid Code;

(bb) **'WS seller'** means a seller in case of a generating station based on wind or solar or hybrid of wind-solar resources.

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or any other regulation of this Commission shall have the meaning assigned to them respectively in the Act or any other regulation.

4. Scope

These regulations shall be applicable to all grid connected regional entities and other entities engaged in inter-State purchase and sale of electricity.

5. Adherence to Schedule and Deviation

(1) For a secure and stable operation of the grid, every grid connected regional entity shall adhere to its schedule as per the Grid Code and shall not deviate from its schedule.

(2) Any deviation shall be managed by the Load Despatch Centre as per the Ancillary Services Regulations, and the computation, charges and related matters in respect of such deviation shall be dealt with as per the following provisions of these regulations.

6. Computation of Deviation

(1) Deviation in a time block for general sellers shall be computed as follows:

Deviation-general seller (in MWh) = [(Actual injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)].

Deviation-general seller (in %) = 100 x [(Actual injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)] / [(Scheduled generation in MWh)].

(2) Deviation in a time block for WS sellers shall be computed as follows:

Deviation-WS seller (in MWh) = [(Actual Injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)].

Deviation-WS seller (in %) = 100 x [(Actual Injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)] / [(Available Capacity)].

(3) Deviation in a time block for buyers shall be computed as follows:

Deviation- buyer (in MWh) = [(Actual drawal in MWh) – (Scheduled drawal in MWh)].

Deviation- buyer (in %) = 100 x [(Actual drawal in MWh) – (Scheduled drawal in MWh)] / [(Scheduled drawal in MWh)].

7. Normal Rate of Charges for Deviations

(1) The normal rate of charges for deviation for a time block shall be equal to the Weighted Average Ancillary Service Charge (in paise/kWh) computed based on the total quantum of Ancillary Services deployed and the net charges payable to the Ancillary Service Providers for all the Regions for that time block:

Provided that for a period of one year from the date of effect of these regulations or such further period as may be notified by the Commission, the normal rate of charges for deviation for a time block shall be equal to the highest of [the weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges; or the weighted average ACP of the Real Time Market segments of all the Power Exchanges; or the Weighted Average Ancillary Service Charge of all the regions] for that time block:

Provided further that in case of non-availability of ACP for any time block on a given day, ACP for the corresponding time block of the last available day shall be considered:

(2) The normal rate of charges for deviation shall be rounded off to the nearest two decimal places.

8. Charges for Deviation

(1) Charges for deviation in a time block by a seller shall be payable by such seller as under:

Entity	**Charges for deviation payable to Deviation and Ancillary Service Pool Account**	
Seller	**Deviation by way of over injection**	**Deviation by way of under injection**
For a general seller other than an RoR generating station or a generating station based on municipal solid waste	(i) Zero up to [*2% Deviation-general seller (in %)*]: Provided that such seller shall be paid back for over injection @ the reference charge rate for deviation up to [*2% Deviation-general seller (in %)*]; and (ii) @ 10% of the normal rate of charges for deviation beyond [*2% Deviation-general seller (in %)*].	(i) @ the reference charge rate up to [*2% Deviation-general seller (in %)*]; (ii) @ 120% of the normal rate of charges for deviation beyond [*2% Deviation-general seller (in %)*] and up to [*10% Deviation-general seller (in %)*]; and (iii) @ 150% of the normal rate of charges for deviation beyond [*10% Deviation-general seller (in %)*].
For a general seller being an RoR generating station	Zero: Provided that such seller shall be paid back for over injection up to [*2% Deviation-general seller (in %)*] @ the reference charge rate.	(i) @ the reference charge rate up to [*2% Deviation-general seller (in %)*]; (ii) @ normal rate of charges for deviation beyond [*2% Deviation-general seller (in %)*] and up to [*10% Deviation-general seller (in %)*]; and

		(iii) @ 110% of the normal rate of charges for deviation beyond [*10% Deviation-general seller (in %)*].
For a general seller being a generating station based on municipal solid waste	Zero: Provided that such seller shall be paid back for over injection up to [*20% Deviation-general seller (in %)*] @ contract rate, or in the absence of a contract rate, @ the weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block.	(i) Zero up to [*20% Deviation-general seller (in %)*]: Provided that such seller shall pay back for the shortfall in energy against its schedule in any time block due to under injection up to [*20% Deviation-general seller (in %)*] @ 50% of the contract rate, or in the absence of a contract rate, @ 50%of the weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block; and (ii) @ normal rate of charges for deviation beyond [*20% Deviation-general seller (in %)*].
For WS seller	Zero: Provided that such seller shall be paid back for over injection as under: (i) @ contract rate, or in the absence of a contract rate, @ the weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block, up to [*5% Deviation -WS seller (in %)*]; and (ii) @ 90% of the contract rate, or in the absence of a contract rate, @ 90% of the weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block for deviation beyond [*5% Deviation-WS seller (in %)*] and up to [*10% Deviation-WS seller (in %)*].	(i) Zero up to [*10% Deviation-WS seller (in %)*]; and (ii) @ 10% of the normal rate of charges for deviation beyond [*10% Deviation-WS seller (in %)*]: Provided that such seller shall pay back for the total shortfall in energy against its schedule in any time block due to under injection, @ the contract rate, or in the absence of a contract rate, @ the weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all Power Exchanges, for the respective time block.

(2) Charges for deviation in a time block by a buyer shall be payable by such buyer as under:

Entity	**Charges for deviation payable to** **Deviation and Ancillary Service Pool Account**	
Buyer	**Deviation by way of** **under drawal**	**Deviation by way of** **over drawal**
Buyer (other than the buyer with schedule less than 400 MW and the RE-rich State)	Zero: Provided that such buyer shall be paid back for under drawal as under: (i) @ 90% of normal rate of charges, for deviation up to [*10% Deviation-buyer (in %) or 100 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*]; and (ii) @ 50% of normal rate of charges,	(i) @ normal rate of charges for deviation up to [*10% Deviation-buyer (in %) or 100 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*]; (ii) @120% of normal rate of charges for deviation beyond [*10% Deviation-buyer (in %) or 100 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*] and up to [*15% Deviation-buyer (in %) or 200 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*]; and (iii) @150% of normal rate of charges for deviation

	for deviation beyond [*10% Deviation-buyer (in %) or 100 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*] and up to [*15% Deviation-buyer (in %) or 200 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*].	beyond [*15% Deviation-buyer (in %) or 200 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*].
Buyer (with schedule up to 400 MW)	Zero: Provided that such buyer shall be paid back for under drawal @ 90% of normal rate of charges for deviation up to [*20% Deviation-buyer (in %) or 40 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*].	(i) @ normal rate of charges for deviation up to [*20% Deviation-buyer (in %) or 40 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*]; and (ii) @120% of normal rate of charges for deviation beyond [*20% Deviation-buyer (in %) or 40 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*].
Buyer (being an RE Rich State)	Zero: Provided that such buyer shall be paid back for under drawal as under: (i) @ 90% of normal rate of charges for deviation up to [*10% Deviation-buyer (in %) or 200 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*]; and (ii) @ 50% of normal rate of charges for deviation beyond [*10% Deviation-buyer (in %) or 200 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*] and up to [*15% Deviation-buyer (in %) or 300 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*].	(i) @ normal rate of charges for deviation up to [*10% Deviation-buyer (in %) or 200 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*]; (ii) @120% of normal rate of charges for deviation beyond [*10% Deviation-buyer (in %) or 200 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*] and up to [*15% Deviation-buyer (in %) or 300 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*]; and (iii) @150% of normal rate of charges for deviation beyond [*15% Deviation-buyer (in %) or 300 MW Deviation-buyer (in MWh) in a time block, whichever is lower*].

(3) (a) The charges for deviation for injection of infirm power shall be zero.

(b) The charges for deviation for drawal of start-up power before COD of a generating unit or for drawal of power to run the auxiliaries during shut-down of a generating station shall be payable at the normal rate of charges for deviation.

(4) The charges for inter-regional deviation and for deviation in respect of cross-border transactions, caused by way of over-drawal or under-injection shall be payable at the normal rate of charges for deviation.

9. Accounting of Charges for Deviation and Ancillary Service Pool Account

(1) By every Thursday, the Regional Load Despatch Centres shall provide the data for deviation calculated as per Regulation 6 of these regulations, for the previous week ending on Sunday mid-night to the Secretariat of the respective Regional Power Committees.

(2) After receiving the data for deviation from the Regional Load Despatch Centre, the Secretariat of the Regional Power Committee shall prepare and issue the statement of charges for deviation prepared for the previous week, to all regional entities by ensuing Tuesday:

Provided that transaction-wise DSM accounting for intra-State entities shall not be carried out at the regional level.

(3) Separate books of accounts shall be maintained for the principal component and interest component of charges for deviation by the Secretariat of the Regional Power Committees.

(4) There shall be a Deviation and Ancillary Service Pool Account to be maintained and operated by the Regional Load Despatch Centre for the respective region:

Provided that the Commission may by order direct any other entity to operate and maintain the Deviation and Ancillary Service Pool Account.

(5) The Deviation and Ancillary Service Pool Account shall receive credit for:

(a) payments on account of charges for deviation referred to in Regulation 8 of these regulations and the late payment surcharge as referred to in Regulation 10 of these regulation;

(b) payments made by:

(i) SRAS Provider for the SRAS-Down despatched under the Ancillary Services Regulations;

(ii) TRAS Provider for the TRAS-Down despatched under the Ancillary Services Regulations; and

(iii) such other charges as may be notified by the Commission.

(6) Deviation and Ancillary Service Pool Account shall be charged for:

(a) payment to seller for over injection as referred to in clause (1) of Regulation 8 of these regulations;

(b) payment to buyer for under drawal as referred to in clause (2) of Regulation 8 of these regulations;

(c) the full cost of despatched SRAS-Up including the variable charge or the energy charge or the compensation charge, as the case may be, for every time block on a regional basis as well as the incentive for SRAS, payable to the concerned SRAS Provider as referred in the Ancillary Services Regulations;

(d) the full cost towards TRAS-Up including the charges for the quantum cleared and despatched and the commitment charge for the quantum cleared but not despatched as referred in the Ancillary Services Regulations; and

(e) such other charges as may be notified by the Commission.

(7) In case of deficit in the Deviation and Ancillary Service Pool Account of a region, surplus amount available in the Deviation and Ancillary Service Pool Accounts of other regions shall be used for settlement of payment under clause (6) of this Regulation:

Provided that in case the surplus amount in the Deviation and Ancillary Service Pool Accounts of all other regions is not sufficient to meet such deficit, the balance amount shall be recovered through the RLDC Fees and Charges.

10. Schedule of Payment of charges for deviation

(1) The payment of charges for deviation shall have a high priority and the concerned regional entity shall pay the due amounts within 7 (seven) days of the issue of statement of charges for deviation by the Regional Power Committee, failing which late payment surcharge @ 0.04% shall be payable for each day of delay.

(2) Any regional entity which at any time during the previous financial year fails to make payment of charges for deviation within the time specified in these regulations, shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of their average payable weekly liability for deviations in the previous financial year in favour of the concerned Regional Load Despatch Centre within a fortnight from the start of the current financial year.

(3) In case of failure to pay into the Deviation and Ancillary Service Pool Account within 7 (seven) days from the date of issue of statement of charges for deviation, the Regional Load Despatch Centre shall be entitled to encash the LC of the concerned regional entity to the extent of the default and the concerned regional entity shall recoup the LC amount within 3 days.

11. Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by the affected party.

12. Power to Remove Difficulty

If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such practice directions as may be considered necessary in furtherance of the objective of these regulations.

13. Repeal and Savings

(1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 shall stand repealed from the date of commencement of these Regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any procedure, minutes, reports, confirmation or declaration of any instrument executed under the repealed regulations shall be deemed to have been done or taken under the relevant provisions of these regulations.

(3) On commencement of these regulations, the Regional Deviation Pool Account Fund constituted under the repealed regulations shall be renamed as the Deviation and Ancillary Service Pool Account constituted under these regulations, and

(a) all sums of money credited to the Regional Deviation Pool Account Fund shall be deemed as credited to the Deviation and Ancillary Service Pool Account;

(b) all amounts due to and from the said Regional Deviation Pool Account Fund shall be deemed as being due to and from the Deviation and Ancillary Service Pool Account; and

(c) any reference to the Regional Deviation Pool Account Fund shall be construed as reference to the Deviation and Ancillary Service Pool Account.

SUSHANTA K. CHATTERJEE, Chief (Regulatory Affairs)

[ADVT.-III/4/Exty./701/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.22 17:06:56 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240138
CG-DL-E-09112022-240138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/ कार्तिक 18, 1944
No. 545]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/ KARTIKA 18, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2022

फा. सं. एल–1/260/2021/केविविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 को दिनांक 22.03.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–III, धारा 4, सं. 147 में प्रकाशित किया गया था,

चूंकि, उक्त विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

और, अब, अतएव, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 दिनांक 05.12.2022 से प्रवृत्त होंगे।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./368/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2022

F. No. L-1/260/2021/CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 147 of the Gazette of India Extraordinary on 22.03.2022,

Whereas, the Clause (2) of Regulations 1 of the said regulations provides that the Regulations shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

And, now, therefore, it is notified that the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 shall come into force with effect from 05.12.2022.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./368/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.09 22:50:29 +05'30'